वाणिज्य अ.ज.–867

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2022–23/प्रे 1559 दि: 12/7/22

आदेश

विषय : "Tourism एंव Hospitality Sector को Industry Sector" के रूप में पूर्ण मान्यता दिये जाने के संबंध में ।

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट भाषण में पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से Tourism एंव Hospitality Sector को Industry Sector के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial Norms के अनुसार Government Tariff एवं levies देय होंगे। राज्य सरकार द्वारा विधुत अधिनियम 2003 की धारा 108 के अन्तर्गत दिनांक 24 मार्च 2022 को जारी आदेशों की अनुपालना में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को औद्योगिक श्रेणी में शामिल किये जाने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र एवं वर्तमान विद्युत बिल की प्रति के साथ निगम कार्यालय में श्रेणी परिवर्तन हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से उपभोक्ताओं के बिल व्यावसायिक श्रेणी के स्थान पर औद्योगिक श्रेणी में जारी किये जायेंगे।
2. वाणिज्य आदेश सं0 866 दिनांक 29.06.2022 के अनुसार सक्षम अधिकारी इन उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को स्वीकृत भार के अनुसार लघु, मध्यम और वृहद् औद्योगिक श्रेणी में परिवर्तित कर सकेंगे।
3. यदि उपभोक्ताओं के विधुत बिल के विरूद्ध बकाया राशि है तो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कराने के बाद ही श्रेणी परिवर्तन प्रभावी होगा।

यह आदेश पूर्व में जारी वाणिज्य आदेश सं0 858 एवं 863 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

(आर.एल. जैन)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d./XEN-II/Comml. Order hindi